कार्यालयः– जनपद न्यायाधीश कासगंज।

कोटेशन/एस्टीमेट –सूचना

एतदद्वारा सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है, कि माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के स्वीकृत आदेश दिनांकित 16.02.2022 के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कासगंज को आवंटित राजकीय वाहन सं0– यू0पी0 87जी/0139 (महिन्द्रा बुलैरो) हेतु मानक अनुरूप बैटरी एमरॉन /एक्साइड/लूमिनस/लिवगॉर्ड क्रय किये जाने के सम्बन्ध में पुरानी बैटरी (स्क्रैप) को समायोजित करते हुए अधिकृत प्रतिष्ठित फर्मो से कोटेशन/एस्टीमेट आमंत्रित किये जाते है उक्त अधिकृत फर्मो को कोटेशन/एस्टीमेट के लिये दी गयी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।

1– कोटेशन/एस्टीमेट बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत कासगंज में दिनांक 22.02.2022 तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेगे। कार्यालय बन्द होने की दशा में इसी क्रम में अगले कार्य दिवस में अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे।

2–कोटेशन/एस्टीमेट दिनांक 22.02.2022 को सायंकाल 4.45 बजे क्रय समिति जनपद न्यायायल कासगंज के समक्ष खोले जायेगे।

3– किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकारी माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।

4– किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

5–कोटेशन/एस्टीमेट खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

6–कोटेशन/एस्टीमेट में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

7– भुगतान लेखन सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

8–कोटेशन/एस्टीमेट में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का छेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।

9–कोटेशन/एस्टीमेट खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10–कोटेशन/एस्टीमेट से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ली जा सकती है।

दिनांक– 16.02.2022

(विजेश कुमार)
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01–जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O.No.562/ उन्नीस–2–2007–1007(T.C) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त सीनीय समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

02– 18 न्यायायल कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

03–कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

04–समस्त सार्वजनिक स्थान कासगंज पर चस्पा करने हेतु।

05–नोडल अधिकारी कंप्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक–16.02.2022

(विजेश कुमार)
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1
कासगंज।